



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 262 राँची, मंगलवार,

10 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

21 मई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-84/2019-30617 (HRMS)--श्री रोहित सिंह, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-153/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खलारी, राँची के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2524, दिनांक 03.10.2019 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, राँची के पत्रांक- 376/गो०, दिनांक 27.03.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

आरोप पत्र में श्री सिंह के विरुद्ध मुख्य रूप से कुँवर पतरा से गोहा डहर मेन रोड तक बोल्टर पथ निर्माण (लम्बाई 1 कि०मी०) योजना में 1,68,598.00 रुपये कार्य से अधिक सरकारी राशि की निकासी, दुरुपयोग करने तथा चिनाटाँड़ करमटोला से अखड़ा होते हुए धुर्वा मोड़ रेलवे गेट तक ईट सोलिंग पथ निर्माण योजना में 19,83,920.00 रुपया कार्य से अधिक सरकारी राशि की निकासी, दुरुपयोग करने एवं योजनाओं का निरीक्षण/ पर्यवेक्षण नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9161, दिनांक 19.11.2019 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री सिंह के पत्रांक-599, दिनांक 22.09.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-24301, दिनांक 26.09.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-388, दिनांक 21.03.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्री सिंह द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित अपने बचाव बयान में कहा गया कि योजनाओं में उनके द्वारा समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया गया है। उनके द्वारा राशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है। मामला संज्ञान में आते ही सभी संबंधितों पर कार्रवाई करते हुए अधिक निकासी की गई राशि की वसूली कर ली गई है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि योजनाओं का संचालन एवं जवाबदेही ग्राम पंचायत के कर्मियों से संबंधित है। अतः लगाये गये आरोप सत्य से परे, निराधार एवं औचित्यहीन है।

श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अतिरिक्त की गई निकासी की राशि की वसूली कर ली गई है एवं अवशेष राशि की वसूली हेतु प्रखण्ड कार्यालय खलारी के पत्रांक-788(A), दिनांक 09.02.2020 के आलोक में नीलाम पत्र वाद की प्रक्रिया चल रही है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान, उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य एवं विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्यों के उपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा मंतव्य में अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप सं०-1 एवं 2 प्रमाणित नहीं होता है।

श्री सिंह के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री रोहित सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खलारी, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रोहित सिंह, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ROHIT SINGH 110041165699	श्री रोहित सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-153/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खलारी, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
